UPBJ010053632025

<u>न्यायालय—अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,(ई0सी0 एक्ट), बिजनौर।</u>

पीठासीन अधिकारी—(सुबोध सिंह), (उच्चतर न्यायिक सेवा)—UP-6329
सिविल निगरानी—51/2025
वेद प्रकाश एण्ड संस आदि बनाम मनोज कुमार अग्रवाल आदि

<u>दिनांकः—17—02—2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र ग—27 पर सुना गया।

<u>निस्तारण प्रार्थनापत्र ग—27—</u>

प्रार्थीगण/विपक्षीगण मनोज कुमार अग्रवाल आदि की ओर से प्रार्थनापत्र ग—27 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न सूची ग—29 से कुछ प्रलेख पत्रावली पर शामिल किये जाने आवश्यक है। अतः इन प्रलेखों को पत्रावली पर लिये जाने के लिये यह प्रार्थनापत्र दिया गया है।

प्रार्थनापत्र पर निगरानीकर्तागण की ओर से यह आपत्ति दर्ज की गयी है कि इस निगरानी में दोनों पक्षों की बहस हो चुकी है। केवल प्रतिउत्तरदातागण की जवाबी बहस होना बाकी है। इसलिये इस स्तर पर विपक्षीगण को कोई कागज पत्रावली पर प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थीगण/विपक्षीगण मनोज कुमार अग्रवाल आदि की ओर से अपने प्रार्थनापत्र ग—27 बल देते हुये यह कहा गया है कि सूची ग—29 के साथ संलग्न प्रपत्र मूलवाद की पत्रावली पर भी शामिल है। इन प्रपत्रों के द्वारा निगरानी का फैसला करने में न्यायालय को सहायता होगी। इसलिये इन कागजों को पत्रावली का भाग बनाया जाना आवश्यक है। विरोध करते हुये निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि निगरानी के स्तर पर केवल प्रश्नगत आदेश की वैधता पर विचार किया जाता है। इसमें किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय के अभिमत में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि पक्षकारों को उचित सुनवाई व पर्याप्त अवसर दिया जाकर वाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जाना चाहिये। अतः मामलें के तथ्यों

एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायहित में प्रार्थीगण/ विपक्षीगण का प्रार्थनापत्र ग–27 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>–आदेश–</u>

प्रार्थनापत्र ग–27 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/ विपक्षीगण के प्रार्थनापत्र ग–27 के साथ दाखिल की गयी सूची कागज सं0 ग–29 के साथ दिये गये प्रपत्र कागज सं0 ग–30 लगायत ग–35 को पत्रावली का भाग बनाया जाये। पत्रावली वास्ते बहस 23–02–2026 को पेश हो।

दिनांकः–17–02–2025

(सुबोध सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट)
बिजनौर।
JO CODE UP-6329

Digitally signed by Subodh Singh
Date: 2026.02.17 16:12:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court